संख्या- 07/ 2020 /ए-1- 304 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2020

विषय - कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत COVID-19 हेतु आहरण ।

महोदय,

अवगत कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के अपेन्डिक्स-2 में दिये गये कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था है-

A Collector may, in circumstances of urgency, by an order in writing authorize and require a Treasury Officer to make a payment, not being a payment of pension, without complying with the provisions of these rules. In any such case the Collector shall at once forward a copy of his order and a statement of the circumstances requiring it, and the Treasury Officer shall at once report the payment to the Accountant General.

2- शासनादेश संख्या- ए-1-1101/दस-96-15(1)/96, दिनांक 21 मई, 1996 द्वारा कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत आहरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गयें है।

3- वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 से निपटने के लिये प्रदेश के विभिन्न विभागों को आकस्मिक रूप से भुगतान करने पड़ सकते हैं। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकस्मिक परिस्थितियों में यदि इस महामारी से सम्बन्धित किसी भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध न हो, तो उक्त शासनादेश दिनांक 21 मई, 1996 में विहित प्रक्रियानुसार जिलाधिकारी, कोषागार नियम-27 (टी0आर0-27) के अन्तर्गत भुगतान हेतु कोषाधिकारी को निर्देशित कर सकतें हैं।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 07/ 2020 /ए-1- 304 /दस-2020-15(1)/96 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपक्रमों के अधिशासी, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।